आदेश सं. 44/01/2007-आरई, दिनांक 17.03.2011 का अनुबंध

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)
के अंतर्गत विकेंद्रित वितरित विद्युत उत्पादन (डीडीजी)
के जरिए ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु
दिशानिर्देशों में संशोधन

11वीं योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विकेंद्रित वितरित विद्युत-उत्पादन (डीडीजी) संबंधी संशोधित दिशानिर्देश, दिनांक 05.01.2011 के समसंख्यक आदेश के जरिए जारी किए गए थे । डीडीजी संबंधी दिशानिर्देशों के खंड 3 के संशोधन को इस प्रकार पढ़ा जाए ः-

क्र.सं.	डीडीजी संबंधी दिशानिर्देशों के खंड का संदर्भ	विद्यमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
1.	डीडीजी संबंधी दिशानिर्देश का खंड 3.0	ऐसे गांवों के लिए, जहां ग्रिड कनेक्टिविटी या तो व्यवहार्य नहीं है या लागत प्रभावी नहीं है, वहां बायोमास, बायो इपधन, बायोगैस, मिनी हाइड्रो, सोलर आदि जैसे पारंपरिक या अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विकेंद्रित वितरित विद्युत उत्पादन किया जा सकता है ।	विद्यमान प्रावधान के बाद निम्नलिखित पंक्तियां जोड़ी जाती हैं ः **यदि परियोजना विकासकर्ता उस गांव के लिए अपेक्षित क्षमता से अधिक क्षमता का डीडीजी संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लेता है तो अतिरिक्त उपलब्ध क्षमता की आपूर्ति निकटवर्ती ग्रिड में की जा सकती है । लेकिन उपलब्ध सब्सिडी की रकम परियोजना की उस क्षमता तक सीमित रखी जाएगी, जो दूरवर्ती गांवों को बिजली की आपूर्ति करने के लिए अपेक्षित हो । अतिरिक्त क्षमता की लागत और ग्रिड में आपूर्ति करने के लिए पारेषण प्रणाली की लागत परियोजना/विकासकर्ता द्वारा वहन की जाएगी ।**

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)
के अंतर्गत विकेंद्रित वितरित विद्युत उत्पादन (डीडीजी)
के जरिए ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु डीपीआर तैयार

संबंधी फार्मेट में संशोधन

1.	डीपीआर तैयार करने संबंधी फार्मेट की क्रम संख्या 6.6.8	(छ) प्रत्येक वर्ष के लिए विद्युत आपूर्ति की लागत **(च-ग)**	निम्नलिखित पंक्तियां प्रतिस्थापित की जाती हैं : **(छ) प्रत्येक वर्ष के लिए विद्युत आपूर्ति की लागत (च-ग)** **(इस लागत को परियोजना लागत में तभी जोड़ा जाएगा, जब उपर्युक्त (ग) पर दर्शाई गई विद्युत आपूर्ति की लागत उपर्युक्त (च) पर दर्शाई गई राजस्व वसूली से अधिक हो, अन्यथा इसे शून्य समझा जाएगा ।)**
2.	डीपीआर तैयार करने संबंधी फार्मेट का अनुबंध-।।	पैरा - 2 प्रमाणित किया जाता है कि डीडीजी के जरिए विद्युतीकृत किए जाने वाले गांव (गांवों)/पुरवा (पुरवों) की सूची को राज्य नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी/उन विभागों द्वारा अंतिम रूप दिया गया है, जो राज्य यूटिलिटियों **और नये और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय** से परामर्श करके नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं ।	एमएनईआरसी से परामर्श शब्दावली को हटाया जाता है ।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)
के अंतर्गत विकेंद्रित वितरित विद्युत उत्पादन (डीडीजी)
के जरिए ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु
दिशानिर्देशों में संशोधन

1.	आरजीजीवी वाई के अंतर्गत डीडीजी के लिए माल और सेवाओं की खरीद संबंधी दिशानिर्देशों के भाग- 1 का खंड 1.1	इन दिशानिर्देशों का प्रयोजन ग्रामीण विद्युत बुनियादी सुविधा और आवासों/विद्युतीकरण के XI योजना स्कीम में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत विकेंद्रित वितरित विद्युत उत्पादन (डीडीजी) के अधीन परियोजनाओं के लिए माल और सेवाओं की खरीद में अपनाए जाने वाले सामान्य सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का संकेत करना है, जिनमें आरईसी द्वारा अन्यथा सहमत सिद्धांत और प्रक्रिया शामिल नहीं है ।	विद्यमान प्रावधानों के बाद निम्नलिखित पंक्तियां जोड़ी जाती हैं : **लेकिन कार्यान्वयन एजेंसियों के पास यह विकल्प होगा कि वे अपने खरीद संबंधी दिशानिर्देशों को अपना सकते हैं या अपने स्वयं के बोली दस्तावेजों ..... को अपना सकते हैं ।**
2.	आरजीजीवी वाई के अंतर्गत डीडीजी के लिए माल और सेवाओं की खरीद संबंधी दिशानिर्देशों के भाग- 1 का खंड 1.4	परियोजनाओं के लिए माल और सेवाओं की कोई भी खरीद उस स्थिति में आरईसी के आधार से वित्तपोषण की पात्र होगीी, यदि उसकी खरीद उपर्युव्त प्रक्रिया के अनुसार की जाती है । उपर्युव्त बोली प्रक्रिया, परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों के सहयोग से अपनाई गई हो जैसा कि उस राज्य द्वारा वांछित हो जो परियोजना के कार्यनिष्पादन में केंद्र सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों का कुल निवेश में शामिल हैं ।	विद्यमान प्रावधानों के बाद निम्नलिखित पंक्तियां जोड़ी जाती हैं : **लेकिन कार्यान्वयन एजेंसियों के पास यह विकल्प होगा कि वे अपने खरीद संबंधी दिशानिर्देशों को अपना सकते हैं या अपने स्वयं के बोली दस्तावेजों ..... को अपना सकते हैं ।**